msTP/pline-Fr

## [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

#### **MINSTRY OF FINANCE**

#### (DEPARTMENT OF REVENUE)

#### (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### NOTIFICATION

244 New Delhi, the June, 2015

No. <u>5</u> /2015

### **INCOME-TAX**

**S.O.** (E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1F) of section 197A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that no deduction of tax under Chapter XVII of the said Act shall be made on the payments of the nature specified in clause (23FBA) of section 10 of the said Act received by any investment fund as defined in clause (a) of the Explanation 1 of section 115UB of the said Act.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 275/11/2015-IT(B)]

(Sandeep Singh) Under Secretary to the Govt. of India

То

The Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110054

# [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## <u>अधिस्चना</u>

24+4 नई दिल्ली, तारीख जून, 2015 सं.57.1/2015

#### आय-कर

का.आ. ...... (अ)--केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 197क की उपधारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 17 के अधीन कर की कोई कटौती उक्त अधिनियम की धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में यथा परिभाषित किसी विनिधान निधि द्वारा प्राप्त, उक्त अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चखक) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के संदायों पर नहीं की जाएगी ।

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी ।

[फा. सं. 275/11/2015-आईटी(बी)]

E1- 44 (संदीप सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार